[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2026 का विधेयक संख्या–14 एच०एल०ए०

हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2026

हरियाणा राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण तथा रक्षोपायों, धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों की अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक अपेक्षाओं के बारे में अनुशंसा करने, धर्म–निरपेक्ष परम्पराओं का परिरक्षण करने और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य के विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अध्यक्ष" से अभिप्राय है, आयोग का अध्यक्ष;

(ख) "आयोग" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन गठित हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग;

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;

(घ) "सदस्य" से अभिप्राय है, आयोग का सदस्य तथा इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव भी शामिल हैं;

(ङ) "अल्पसंख्यक" से अभिप्राय है, सरकार द्वारा, समय–समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में घोषित हरियाणा राज्य में रहने वाले समुदाय;

(च) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(छ) "उपाध्यक्ष" से अभिप्राय है, आयोग का उपाध्यक्ष।

आयोग का गठन।

3. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा सौंपे गए कार्यों को करने के लिए हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी।

(2) आयोग निम्नलिखित से गठित होगा, –

(क) अध्यक्ष, जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, जो सामाजिक जीवन में वृहत अनुभव रखने वाला हो और जिसने सरकारी गतिविधियों में कार्य किया हो, योगदान दिया हो;

(ख) उपाध्यक्ष, जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला प्रतिष्ठित, सक्षम और सत्यनिष्ठ व्यक्ति होगा, जो अल्पसंख्यकों के कल्याण, अधिकारों का संरक्षण, सामाजिक उन्नति, शैक्षणिक विकास, आर्थिक सशक्तता या सांस्कृतिक हितों से संबंधित मामलों में व्यावहारिक अनुभव रखने वाला हो;

(ग) सभी अल्पसंख्यक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पांच गैर–सरकारी सदस्य:

परन्तु सरकार, अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या के अनुसार सदस्यों की संख्या में वृद्धि या कमी कर सकती है:

परन्तु यह और कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे; तथा

(घ) सचिव, जो धारा 7 के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

सदस्यों की पदावधि।

4. (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) जब कभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, को हटाने से कोई रिक्ति होती है, तो ऐसी रिक्ति, सरकार द्वारा नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी तथा ऐसा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी की पदावधि की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।

सदस्य का त्यागपत्र तथा हटाया जाना।

5. (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य किसी भी समय सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित में पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(2) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सरकार, आदेश द्वारा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, को हटा सकती है, यदि वह, –

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है; या

(ख) सरकार की राय में नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडित किया गया है; या

(ग) विकृत चित्त हो जाता है तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है; या

(घ) कार्य करने से इनकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है; या

(ङ) आयोग से अनुपस्थिति अवकाश प्राप्त किए बिना, आयोग की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहता है; या

(च) सरकार की राय में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि उस व्यक्ति का पद पर बना रहना अल्पसंख्यकों के हितों या लोकहित के लिए अहितकर है :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के सिवाय तब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक उस व्यक्ति को सुनवाई का यक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो।

सदस्यों का वेतन और भत्ते।

6. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

आयोग का सचिव।

7. (1) सरकार, हरियाणा सिविल सेवा संवर्ग के किसी अधिकारी को आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) सचिव, आयोग के लेखे अनुरक्षित करवाएगा तथा इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उसको सौंपे गए कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) सचिव, आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा आयोग तथा इसके दिन–प्रतिदिन के प्रबंधन के कार्यों के समुचित प्रशासन के लिए जिम्मेवार होगा तथा, –

(क) आयोग के अनुदानों का संचालन करेगा;

(ख) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य विधि द्वारा या के अधीन उसको प्रदत्त किए गए हैं; तथा

(ग) आयोग के किसी अधीनस्थ अधिकारी को अपना कोई कृत्य या प्राधिकार प्रत्यायोजित करेगा।

आयोग का अमला।

8. (1) सरकार, आयोग को ऐसा अमला उपलब्ध करवाएगी, जो इस अधिनियम के अधीन आयोग की उचित कार्यप्रणाली के लिए अपेक्षित हो।

(2) अमले का वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

अनुदानों में से भुगतान किए जाने वाले वेतन और भत्ते।

9. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते तथा आयोग के अमले को भुगतानयोग्य वेतन तथा भत्तों सहित आयोग के प्रशासकीय व्यय, धारा 15 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अनुदानों में से भुगतान किए जाएंगे।

आयोग द्वारा विनियमित की जाने वाली प्रक्रिया।

10. (1) आयोग, सरकार के पूर्व अनुमोदन से इसकी अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा।

(2) आयोग के सभी आदेश तथा निर्णय, सचिव या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त विधिवत् प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

रिक्तियों इत्यादि से आयोग की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना।

11. आयोग का कोई भी कार्य, निर्णय या कार्यवाही प्रश्नगत नहीं होगी या केवल किसी रिक्ति या आयोग के गठन में त्रुटि या अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में किसी त्रुटि या बैठक आयोजित करने के लिए नोटिस, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित न करें, जारी करने सहित आयोग की प्रक्रिया में किसी अनियमितता के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।

आयोग की बैठक।

12. (1) आयोग, जब कभी आवश्यक हो, ऐसे समय तथा स्थान पर, जो अध्यक्ष उचित समझे, बैठक करेगाः

परन्तु आयोग तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

(2) अध्यक्ष, आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) बैठक के लिए गणपूर्ति आधे सदस्यों से होगी।

आयोग के कृत्य।

13. (1) आयोग निम्नलिखित कृत्य करेगा, अर्थात्:–

(क) अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए भारत के संविधान या संसद द्वारा अधिनियमित विधियों या राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विधियों में दिए गए विभिन्न रक्षोपायों के कार्य की जांच करने तथा सभी रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा लागूकरण सुनिश्चित करने की अनुशंसा करना;

(ख) अल्पसंख्यकों के लिए भारत के संविधान, संसद या राज्य विधानमण्डल द्वारा अधिनियमित विधियों तथा सरकार की नीतियों तथा स्कीमों में दिए गए रक्षोपायों के कार्य की निगरानी करना;

(ग) अल्पसंख्यकों के विरूद्ध भेदभाव से बचाव के प्रश्नों का अध्ययन, अनुसंधान तथा विश्लेषण करना;

(घ) हरियाणा सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन करना तथा वांछित स्तर तक पहुँचने के साधनों का उपाय करना;

(ङ) हरियाणा राज्य में साम्प्रदायिक समन्वय को सुनिश्चित करने, अनुरक्षण करने तथा उन्नत करने के लिए अनुशंसा करना;

(च) अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित किसी मामले और विशेष रूप से उन्हें पेश आने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार को आवधिक या विशेष रिपोर्ट करना;

(छ) किसी अन्य मामले का अध्ययन करना, जो आयोग की राय में अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा उचित अनुशंसा करना;

(ज) अल्पसंख्यकों की शिकायतों पर विचार करना और समय–समय पर समुचित समाधान करने का सुझाव देना;

(झ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा रक्षोपायों से वंचित करने वाली विशेष शिकायतों की जांच–पड़ताल करना तथा समुचित प्राधिकरणों के पास ऐसे मामलों को उठानाः

परन्तु यदि उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का केन्द्रीय अधिनियम 19) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कार्यवाही करता है, तो ऐसे मामलों में राज्य आयोग की अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

(2) सरकार, आयोग की अनुशंसाओं पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही तथा ऐसी अनुशंसाओं को अस्वीकृत करने के कारण, यदि कोई हों, स्पष्ट करते हुए ज्ञापन के साथ राज्य विधानमण्डल के सम्मुख आयोग की अनुशंसा रखवाएगी:

परन्तु किसी अनुशंसा की अस्वीकृति के मामले में, आयोग के पास सरकार द्वारा सुनवाई का अधिकार होगा।

आयोग की शक्तियां।

14. आयोग के पास इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को कार्यान्वित करते समय तथा विशिष्टितया निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी, अर्थात्:–

(क) किसी व्यक्ति को समन जारी करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसकी जांच करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) सरकार के किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(ङ) साक्षी और दस्तावेजों की जांच करने के लिए कमीशन जारी करना; तथा

(च) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाए।

आयोग का बजट तथा सरकार द्वारा अनुदान।

15. (1) आयोग, वित्त वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष अपनी आय तथा व्यय का बजट अनुमान तैयार करेगा और अनुमोदन के लिए उसे सरकार को अग्रेषित करेगा।

(2) सरकार, इस निमित्त विधि द्वारा राज्य विधानमण्डल द्वारा सम्यक् विनियोग किए जाने के बाद, अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि आयोग को भुगतान करेगी, जो सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु उचित समझे।

(3) आयोग, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां व्यय कर सकता है, जो वह उचित समझे तथा ऐसी राशियां, उपधारा (2) में निर्दिष्ट अनुदानों में से भुगतानयोग्य व्यय के रूप में समझी जाएंगी।

लेखे तथा लेखा–परीक्षा।

16. (1) आयोग, समुचित लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेख ऐसे प्ररूप में बनाए रखेगा, जो विहित किया जाए।

(2) निदेशक, स्थानीय लेखा–परीक्षा, हरियाणा द्वारा प्रतिनियुक्त किसी लेखा–परीक्षक द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, आयोग के लेखों की लेखा–परीक्षा की जाएगी तथा ऐसी लेखा–परीक्षा के सम्बन्ध में कोई व्यय, आयोग द्वारा भुगतानयोग्य होगा।

(3) लेखा–परीक्षक की पहुंच आयोग के सभी लेखों तथा अन्य अभिलेख तक होगी।

(4) आयोग द्वारा लेखा–परीक्षा रिपोर्ट की प्रति के साथ लेखा–परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित आयोग के लेखे सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे।

वार्षिक रिपोर्ट।

17. (1) आयोग, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों के पूर्ण विवरण देते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, तैयार करेगा और सरकार को उसकी प्रति अग्रेषित करेगा।

(2) सरकार, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख वार्षिक रिपोर्ट रखवाएगी।

विशेष रिपोर्ट।

18. आयोग, अल्पसंख्यकों के हितों से सम्बन्धित लोक महत्व के किसी मामले पर विशेष रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर सकता है।

अभिकरणों की सेवाओं का उपयोग करने की शक्ति।

19. आयोग, इस अधिनियम के अधीन साक्षियों तथा दस्तावेजों की कोई जांच करने के प्रयोजनों के लिए सरकार के पूर्व अनुमोदन से सरकार के किसी अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

आयोग को किए गए कथन के लिए संरक्षण।

20. साक्ष्य देने के दौरान आयोग को किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी कथन को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उसे अभियोजित करने के सिवाय, किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाहियों में उसके विरूद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

लोक सेवक।

21. आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों तथा अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 2 के खण्ड (28) के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझा जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

22. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए इस अधिनियम के अधीन कृत्य करने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या किसी अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी के निर्देशनाधीन कार्य करने वाले किसी कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

अनुसंधान प्रकोष्ठ।

23. आयोग, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अनुसंधान प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए सरकार को अनुशंसा कर सकता है।

नियम बनाने की शक्ति।

24. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम को इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

25. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, आयोग के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अनअसंगत ऐसा उपबंध कर सकती है, जो इसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश को इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना राज्य स्तर पर एक संस्थागत व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तावित है, ताकि अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए संविधान तथा विधियों में प्रदत्त सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन किया जा सके और हरियाणा राज्य में ऐसे सुरक्षा उपायों तथा विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सिफारिशें की जा सकें।

2. वैधानिक दर्जा प्राप्त आयोग अल्पसंख्यक समुदायों में उसके कार्यकरण और प्रभावशीलता के प्रति विश्वास उत्पन्न करेगा। इससे राज्य सरकार, उसके विभागों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय प्राधिकरणों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास से संबंधित अन्य संगठनों के समक्ष आयोग की सिफारिशों को अधिक महत्व प्राप्त होगा।

3. अतः प्रस्तावित विधेयक द्वारा हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

4. हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा ऐसे सदस्य होंगे, जैसा कि विधेयक में प्रावधान किया जाए।

5. आयोग का मुख्य कार्य राज्य में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण हेतु संविधान तथा विधियों में प्रदत्त सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना और अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा सुरक्षा उपायों से वंचित किए जाने संबंधी विशिष्ट शिकायतों की जांच करना होगा। आयोग अल्पसंख्यकों के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षणिक विकास से संबंधित विषयों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण भी कराएगा तथा सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन और राज्य सरकार द्वारा अपनाए जाने योग्य उपयुक्त उपायों के संबंध में सिफारिशें करेगा।

6. यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है।

कृष्ण कुमार बेदी,
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसुचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग
कल्याण और अंत्योदय सेवा विभाग मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 26 अगस्त, 2026

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, भा.प्र.से.,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 26 अगस्त, 2026 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2026 की धारा 15 में किए गए प्रावधान के अनुसार सरकार प्रशासक या समिति द्वारा किए गए आवेदन पर संस्था के व्यवसाय और मामलों के प्रबंधन तथा इसके आगे के विकास के प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों और नियमों पर संस्था को अनुदान या अग्रिम दे सकती है। हालाँकि इस स्तर पर अग्रिम या किसी अनुदान का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।

प्रत्यायुक्त विधान के बारे में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 24 द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्तियां दी गई है। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन एक सामान्य स्वरूप का है। अतः हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन संलग्न है।

12822—H.V.S.—H.G.P., Pkl.